

अमाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i) प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

ਲਂ. 460] No. 460] नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 2, 2014/भाद्र 11, 1936

NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 2, 2014/BHADRA 11, 1936

भारतीय रिज़र्व बैंक

(विदेशी मुद्रा विभाग)

(केंद्रीय कार्यालय)

अधिसूचना

मुंबई, 10 जुलाई, 2014

विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से बाहर के निवासी किसी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) (बारहवां संशोधन) विनियमावली. 2014

सा.का.िन. 632(अ).—विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 6 की उप-धारा (3) के खंड (बी) और धारा 47 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय रिज़र्व बैंक एतद्द्वारा विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से बाहर के निवासी किसी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) विनियमावली, 2000 (3 मई, 2000 की अधिसूचना सं.फेमा. 20/2000-आरबी) में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात्:—

1 संक्षिप्त नाम और प्रारंभ

- (i) ये विनियम विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से बाहर के निवासी किसी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) (बारहवां संशोधन**)** विनियमावली, 2014 कहलाएंगे ।
- (ii) वे सरकारी राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. अनुसूची 1 में संशोधन

विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से बाहर के निवासी किसी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) विनियमावली, 2000 (3 मई, 2000 की अधिसूचना सं.फेमा. 20/2000-आरबी) में, अनुसूची 1 में, पैराग्राफ 2 में, उप-पैराग्राफ (iv) में, वर्तमान खण्ड (iii) के बाद, निम्नलिखित खंड जोड़ा जाएगा, अर्थात:

3463 GI/2014 (1)

- (iv) निवेशप्राप्तकर्ता कंपनी द्वारा भुगतान की जाने वाली अन्य निधियों के बदले, जिनके विप्रेषण के लिए विदेशी मुद्रा प्रबंधक अधिनियम (फेमा), 1999 अथवा उसके अंतर्गत निर्मित नियमों/विनियमों अथवा जारी निदेशों के तहत भारत सरकार अथवा भारतीय रिजर्व बैंक की पूर्वानुमित लेना आवश्यक नहीं है, बशर्ते कि:
 - ं. ईक्विटी शेयर वर्तमान एफडीआई दिशानिर्देशों के अनुसार सेक्टरल कैप, कीमत निर्धारण संबंधी भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा, समय-समय पर, यथा संशोधित दिशानिर्देशों आदि के अनुसार जारी किए जाएंगे;
 - ii. इस प्रावधान के तहत जारी इक्विटी शेयर, भुगतान की जाने वाली निधियों पर यथा लागू कर नियमों की शर्त के अधीन होंगे और इक्विटी में उनके परिवर्तन लागू करों को घटाकर किए जाएंगे।

[सं.फेमा. 315/2014-आरबी]

बी.पी. कानूनगो, प्रधान मुख्य महाप्रबंधक

फुट नोट :-

- (i) @ यह स्पष्ट किया जाता है कि इन विनियमों को पूर्वप्रभावी करने के कारण किसी भी व्यक्ति पर कोई प्रतिकूल असर नहीं पड़ेगा।
- (ii) मूल विनियमावली 8 मई, 2000 के सा.का.िन. संख्या. 406(अ) के द्वारा शासकीय राजपत्र के भाग II, खंड 3, उप खंड (i), में प्रकाशित और बाद में निम्नानुसार संशोधित की गयी थी:—

सा.का.नि. सं. 158(अ) दिनांक 02.03.2001 सा.का.नि. सं. 712(अ) दिनांक 14.11.2007 सा.का.नि. सं. 175(अ) दिनांक 13.03.2001 सा.का.नि. सं. 713(अ) दिनांक 14.11.2007 सा.का.नि. सं. 737(अ) दिनांक 29.11.2007 सा.का.नि. सं. 182(अ) दिनांक 14.03.2001 सा.का.नि. सं. 4(अ) दिनांक 02.01.2002 सा.का.नि. सं. 575(अ) दिनांक 05.08.2008 सा.का.नि. सं. 574(अ) दिनांक 19.08.2002 सा.का.नि. सं. 896(अ) दिनांक 30.12.2008 सा.का.नि. सं. 223(अ) दिनांक 18.03.2003 सा.का.नि. सं. 851(अ) दिनांक 01.12.2009 सा.का.नि. सं. 225(अ) दिनांक 18.03.2003 सा.का.नि. सं. 341 (अ) दिनांक 21.04.2010 सा.का.नि. सं. 558(अ) दिनांक 22.07.2003 सा.का.नि. सं. 821(अ) दिनांक 10.11.2012 सा.का.नि. सं. 835(अ) दिनांक 23.10.2003 सा.का.नि. सं. 606(अ) दिनांक 03.08.2012 सा.का.नि. सं. 899(अ) दिनांक 22.11.2003 सा.का.नि. सं. 795(अ) दिनांक 30.10.2012 सा.का.नि. सं. 12(अ) दिनांक 07.01.2004 सा.का.नि. सं. 796(अ) दिनांक 30.10.2012 सा.का.नि. सं. 278(अ) दिनांक 23.04.2004 सा.का.नि. सं. 797(अ) दिनांक 30.10.2012 सा.का.नि. सं. 945(अ) दिनांक 31.12.2012 सा.का.नि. सं. 454(अ) दिनांक 16.07.2004 सा.का.नि. सं. 625(अ) दिनांक 21.09.2004 सा.का.नि. सं. 946(अ) दिनांक 31.12.2012 सा.का.नि. सं. 799(अ) दिनांक 08.12.2004 सा.का.नि. सं. 38(अ) दिनांक 22.01.2013 सा.का.नि. सं. 201(अ) दिनांक 01.04.2005 सा.का.नि. सं. 515(अ) दिनांक 30.07.2013 सा.का.नि. नं. 202(अ) दिनांक 01.04.2005 सा.का.नि. सं. 532(अ) दिनांक 05.08.2013 सा.का.नि. सं. 504(अ) दिनांक 25.07.2005 सा.का.नि. सं. 341(अ) दिनांक 28.05.2013 सा.का.नि. सं. 505(अ) दिनांक 25.07.2005 सा.का.नि. सं. 344(अ) दिनांक 29.05.2013 सा का नि. सं. 513(अ) दिनांक 29.07.2005 सा.का.नि. सं. 195(अ) दिनांक 01.04.2013 सा.का.नि. सं. 738(अ) दिनांक 22.12.2005 सा.का.नि. सं. 393(अ) दिनांक 21.06.2013 सा.का.नि. सं. 29(अ) दिनांक 19.01.2006 सा.का.नि. सं. 591(अ) दिनांक 04.09.2013 सा.का.नि. सं. 413(अ) दिनांक 11.07.2006 सा.का.नि. सं. 596(अ) दिनांक 06.09.2013

सा.का.नि. सं. 597(अ) दिनांक 06.09.2013	सा.का.नि. सं. 190(अ) दिनांक 19.03.2014
सा.का.नि. सं. 681(अ) दिनांक 11.10.2013	सा.का.नि. सं. 270(अ) दिनांक 07.04.2014
सा.का.नि. सं. 682(अ) दिनांक 11.10.2013	सा.का.नि. सं. 361(अ) दिनांक 27.05.2014
सा.का.नि. सं. 818(अ) दिनांक 31.12.2013	सा.का.नि. सं. 370(अ) दिनांक 30.05.2014
सा.का.नि. सं. 805(अ) दिनांक 30.12.2013	सा.का.नि. सं. 371(अ) दिनांक 30.05.2014
सा.का.नि. सं. 683(अ) दिनांक 11.10.2013	सा.का.नि. सं. 400(अ) दिनांक 12.06.2014
सा.का.नि. सं. 189(अ) दिनांक 19.03.2014	

RESERVE BANK OF INDIA

(Foreign Exchange Department)

(Central Office)

NOTIFICATION

Mumbai, the 10th July, 2014

Foreign Exchange Management (Transfer or Issue of Security by a Person Resident outside India) (Twelth Amendment) Regulations, 2014

G.S.R. 632(E).—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (3) of Section 6 and Section 47 of the Foreign Exchange Management Act, 1999 (42 of 1999), the Reserve Bank of India hereby makes the following amendments in the Foreign Exchange Management (Transfer or Issue of Security by a Person Resident outside India) Regulations, 2000 (Notification No. FEMA 20/2000-RB dated 3rd May, 2000) namely:—

1. Short Title & Commencement:

- (i) These Regulations may be called the Foreign Exchange Management (Transfer or Issue of Security by a Person Resident Outside India) (Twelth Amendment) Regulations, 2014.
- (ii) They shall come into force from the date of publication of this notification in the Official Gazette

2. Amendment to Schedule 1

In the Foreign Exchange Management (Transfer or Issue of Security by a Person Resident outside India) Regulations, 2000 (Notification No. FEMA 20/2000-RB dated 3rd May, 2000), in Schedule 1, in paragraph 2, in sub-paragraph (iv), after the existing clause (iii), the following shall be added, namely:—

- (iv) against any other funds payable by the investee company, remittance of which does not require prior permission of the Government of India or Reserve Bank of India under FEMA ,1999 or any rules/ regulations framed or directions issued thereunder, provided that:
 - i. The equity shares shall be issued in accordance with the extant FDI guidelines on sectoral caps, pricing guidelines etc. as amended by Reserve Bank of India, from time to time;
 - ii. The issue of equity shares under this provision shall be subject to tax laws as applicable to the funds payable and the conversion to equity should be net of applicable taxes.

[No. FEMA. 315/2014-RB]

B.P. KANUNGO, Principal Chief General Manager

Foot Note:-

(i) @It is clarified that no person will be adversely affected as a result of the retrospective effect being given to these Regulations.

(ii) The Principal Regulations were published in the Official Gazette vide G.S.R. No.406 (E) dated May 8, 2000 in Part II, Section 3, sub-Section (i) and subsequently amended as under :—

G.S.R.No. 158(E) dated 02.03.2001	G.S.R.No. 821 (E) dated 10.11.2012
G.S.R.No. 175(E) dated 13.03.2001	G.S.R.No. 606(E) dated 03.08.2012
G.S.R.No. 182(E) dated 14.03.2001	G.S.R.No. 795(E) dated 30.10.2012
G.S.R.No. 4(E) dated 02.01.2002	G.S.R.No. 796(E) dated 30.10.2012
G.S.R.No. 574(E) dated 19.08.2002	G.S.R. No. 797(E) dated 30.10.2012
G.S.R.No. 223(E) dated 18.03.2003	G.S.R.No. 945 (E) dated 31.12.2012
G.S.R.No. 225(E) dated 18.03.2003	G.S.R. No. 946(E) dated 31.12.2012
G.S.R.No. 558(E) dated 22.07.2003	G.S.R. No. 38(E) dated 22.01.2013
G.S.R.No. 835(E) dated 23.10.2003	G.S.R.No. 515(E) dated 30.07.2013
G.S.R.No. 899(E) dated 22.11.2003	G.S.R.No. 532(E) dated 05.08.2013
G.S.R.No. 12(E) dated 07.01.2004	G.S.R. No. 341(E) dated 28.05.2013
G.S.R.No. 278(E) dated 23.04.2004	G.S.R.No. 344(E) dated 29.05.2013
G.S.R.No. 454(E) dated 16.07.2004	G.S.R. No. 195(E) dated 01.04.2013
G.S.R.No. 625(E) dated 21.09.2004	G.S.R.No. 393(E) dated 21.06.2013
G.S.R.No. 799(E) dated 08.12.2004	G.S.R.No. 591(E) dated 04.09.2013
G.S.R.No. 201(E) dated 01.04.2005	G.S.R.No. 596(E) dated 06.09.2013
G.S.R.No. 202(E) dated 01.04.2005	G.S.R.No. 597(E) dated 06.09.2013
G.S.R.No. 504(E) dated 25.07.2005	G.S.R.No. 681(E) dated 11.10.2013
G.S.R.No. 505(E) dated 25.07.2005	G.S.R.No. 682(E) dated 11.10.2013
G.S.R.No. 513(E) dated 29.07.2005	G.S.R. No. 818(E) dated 31.12.2013
G.S.R.No. 738(E) dated 22.12.2005	G.S.R. No. 805(E) dated 30.12.2013
G.S.R.No. 29(E) dated 19.01.2006	G.S.R.No. 683(E) dated 11.10.2013
G.S.R.No. 413(E) dated 11.07.2006	G.S.R.No. 189(E) dated 19.03.2014
G.S.R.No. 712(E) dated 14.11.2007	G.S.R.No. 190(E) dated 19.03.2014
G.S.R.No. 713(E) dated 14.11.2007	G.S.R.No. 270(E) dated 07.04.2014
G.S.R.No. 737(E) dated 29.11.2007	G.S.R.No. 361 (E) dated 27.05.2014
G.S.R.No. 575(E) dated 05.08.2008	G.S.R.No.370(E) dated 30.05.2014
G.S.R.No. 896(E) dated 30.12.2008	G.S.R.No.371(E) dated 30.05.2014
G.S.R.No. 851(E) dated 01.12.2009	G.S.R.No. 400 (E) dated 12.06.201
G.S.R.No. 341 (E) dated 21.04.2010	